श्रीराम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (एसएआरपीएल)

SHRIRAM Asset Reconstruction

(अपनी क्षमता से विभिन्न एसएआरसी ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में)
पंजीकृत कार्यालय : श्रीराम हाऊस सं. 4, बुकबिट रोड, टी.नगर, चेन्नई–600017,
कॉर्पोरेट कार्यालय : इकाई सं. एफएफ–ए–05, ए विंग, प्रथम तल, आर्ट गिल्ड हाऊस, फिनिक्स मार्केट सिटी, एलबीएस मार्ग, करला (पश्चिम), मुंबई – 400070,
वेबसाइट:www.shriramarc.com, फोन : सं. 1800 120 2389, customercare@shriramarc.com

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति/यों के लिए) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(1) के तहत

जबकि,अधोहस्ताक्षरी श्रीराम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, विभिन्न एसएआरसीटी ट्रस्टों (इसके बाद ''एसएआरसीएल'' से संदर्भित) के ट्रस्टी की भूमिका में , सरफेसी अधिनियम की धारा (5) के अंतर्गत, विभिन्न उधारकर्ताओं से संबंधित वित्तीय संपत्तियों को प्राप्त कर चुका है, जिनमें नीचे वर्णित उधारकर्ता भी शामल हैं, साथ ही उस पर बनाए गए अंतर्निहित प्रत्याभूत हित के स ाथ–साथ सभी अधिकार, शीर्षक और उस पर हित, प्रत्याभूत ऋणदाता/मूल ऋणदाता/समनुदेशक मणप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्त की गई संपत्तियां, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 (इसके बाद ''सरफेसी अधिनियम'' से संदर्भित) और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुपालन में , प्रतिभूतित हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना जारी कर उधारकर्ताओं से उनके संबंधित नाम के विरुद्ध वर्णित राशि कोउक्त सूचना में वर्णित लागू/अनुबंधित दरों पर ब्याज सहित लागू भविष्य का ब्याज, आकस्मिक लागतों, प्रभारों आदि व्यय भुगतान और/या वसूली जैसा की निम्न अनुसूची में वर्णित सहित उक्त सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए आह्वान किया था।

एसएआरसीएल ने मूल ऋणदाता के स्थान पर कदम रखा है जिसके पास वित्तीय परिसंपत्तियों के संदर्भ में प्रत्याभूत ऋणदाता के सभी अधिकार,शीर्षक, हित हैं। नीचे वर्णित उधारकर्ताओं ने देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद्द्वारा उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचीत किया जाता है की श्रीराम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 8(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से निम्न वर्णित संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लिया है।

उधारकर्ता और आम तौर पर जनता को एतद् द्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति/यों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों से कोई व्यवहार न करें और संपत्ति/यों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के साथ कोई भी व्यवहार राशि उस पर ब्याज सहित श्रीराम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटरों/बंधककर्ताओं का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है, ताकि प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाया जा सके।

क्र सं	ऋण खाता सं. और ट्रस्ट विवरण/ मूल ऋणदाता	उधारकर्ता/ सह उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	मांग सूचना दिनांक और राशि	प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	NLAP005203338 7 / एसएआरसी ट्रस्ट 8/ मणप्पुरम होम फाइनेंस लि	गुड्डी देवी, राजेंद्र कुमार मीना, मुकेश कुमार मीना	11.11.2025 और रुपये 5,32,441/–	प्लॉट संग पट्टा सं. 6042, खसरा सं. 756, ग्राम सीरखेड़ी, ग्राम पंचायत मेंडेरू, पंचायत समिति तोडाभीम, करौली,ग्राम पंचायत मेंडेरू के क्षेत्राधिकार के भीतर और उप–पंजीयक तोडाभीम की सीमा के भीतर, राजस्थान, पिन : 321611, पूर्व : साझा रास्ता, पश्चिम: स्वयं के पड़ुओं का खेत, उत्तर : स्वयं की भूमि, रास्ता, दक्षिण: विजय मीना का मकान
2.	NLAP005204545 5 / एसएआरसी ट्रस्ट 8/ मणप्पुरम होम फाइनेंस लि	संतोषी देवी, इंदराज महावर, कान सिंह	11.11.2025 और रुपये 7,31,860/–	पट्टा सं. 13277 पर प्लॉट, स्थित खसरा सं.85, ग्राम सुजानपुरा, ग्राम पंचायत शालावर, तहसील तोडाभीम जिला करौली (राजस्थान),ग्राम पंचायत शालावर तहसील तोडाभीम जिला करौली (राजस्थान) के क्षेत्राधिकार के भीतर और उप–पंजीयक तोडाभीम की सीमा के भीतर, राजस्थान, पिन : 321611, पूर्व : पवन महावर का मकान, पश्चिम: सड़क, उत्तर : बाबू लाल महावर का मकान, दक्षिण : धरम सिंह मीना का मकान

स्थान : राजस्थान
दिनांक : 23.04.2026

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स श्रीराम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(अपनी क्षमता से एसएआरसी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में)

ईसीएल फाइनैंस लिमिटेड

Edelweiss | ECL Finance Ltd. | Ideas create, values protect

पंजीकृत कार्यालय: टावर 3, पांचवीं मंजिल, विंग 'बी', कोहिनूर सिटी मॉल, कोहिनूर सिटी, किरोल रोड, कुर्ला (वेस्ट), मुम्बई-400070

मांग सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(1) के अधीन

अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के अधीन ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड (ईसीएल) का अधिकृत अधिकारी है। कथित अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए अधिकृत अधिकारी ने कथित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की है, जिसमें कर्जदार(ों)/सह-कर्जदार(ों)/गिरवीदाताओं/गारंटरों ("कथित कर्जदार(ों)") को उनको जारी संबंधित मांग सूचना(ओं) में उल्लेखित रकम चुकता करने को कहा गया है, जिसका उल्लेख नीचे भी किया गया है, कर्जदार(ों) ("कथित कर्जदार(ों)") के खाते को **दिनांक 06-04-2026** को **एनपीए** के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। ऊपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा कथित कर्जदार(ों) को सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर यहां नीचे उल्लेखित रकम के साथ नीचे उल्लेखित तारीख से भुगतान तथा/अथवा वसूली की तारीख तक कथित मांग सूचना(ओं) में यथा उल्लेखित आगे के ब्याज, जो कथित कर्जदार(ों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध के साथ पठित अन्य दस्तावेज/विलेखों, यदि कोई हो, के अधीन देय है, ईसीएल को चुकता करने के लिए एक बार पुनः सूचित किया जाता है। ऋण का विधिवत भुगतान करने के लिए सुरक्षा के तौर पर कथित कर्जदार(ों) द्वारा ईसीएल के पास नीचे उल्लेखित सम्पत्तियां गिरवी रखी गई है।

कर्जदार(ों)/सह-कर्जदार(ों) का नाम एवं ऋण खाता का विवरण	मांग सूचना की तारीख एवं रकम	प्रत्याभूत सम्पत्ति की अनुसूची
(ऋण खाता सं.: LNDPIDS0000098692) **1. नूरी धातु शोधन उद्योग एलएलपी** (कर्जदार एवं आवेदक) **2. अमित यादव** (सह-कर्जदार एवं सह-आवेदक) **3. मनजीत कुमारी** (सह-कर्जदार एवं सह-आवेदक) **4. तेजिन्द्र यादव** (सह-कर्जदार एवं सह-आवेदक) **5. नूर राव** (सह-कर्जदार एवं सह-आवेदक) **6. तिरुपति बालाजी स्टोन क्रेशर कं.** (सह-कर्जदार एवं सह-आवेदक) **ऋण अनुबंध तिथि 31-07-2023** **ऋण रकम:** रु. 1,91,00,000/- (रुपये एक करोड़ इक्यानवे लाख मात्र)	21-04-2026 **एवं** ऋण खाता सं. LNDPIDS0000098692 के संबंध में **रु. 1,85,16,602.45/-** (रुपये एक करोड़ पचासी लाख सोलह हजार छह सौ दो एवं पैसे पैंतालीस मात्र) दिनांक 15-04-2026 को बकाया	**प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति सं. 1-** रोहिणी आवासीय योजना, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित सेक्टर-13, प्लॉट संख्या 29 पर निर्मित स्टेट स्वस्तिक को-ऑपरेटिव हाउ हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड', अब 'स्वस्तिक कुंज' के नाम से ज्ञात) के लेआउट प्लान में दर्शाया गया पहली एवं दूसरी मंजिल पर एमआईजी श्रेणी (डुप्लेक्स) का फ्लैट सं. 192, के साथ उसके नीचे की जमीन का पूर्ण स्वामित्व अधिकार। **टिप्पणी*:** एसआर-VI, नई दिल्ली के कार्यालय में दस्तावेज संख्या 2263, खंड संख्या 9998, पृष्ठ संख्या 143-153 पर दिनांक 10-03-2022 को विधिवत पंजीकृत इस संपत्ति के संबंध में राज रानी द्वारा अमित यादव के पक्ष में निष्पादित दिनांक 10-03-2022 की बिक्री विलेख में इसका अधिक सटीक विवरण दिया गया है। **संपत्ति संख्या 2:** ग्राम- खानपुर, हल्का-भिवाड़ी, तहसील-तिजारा, जिला-अलवर, राजस्थान में स्थित खसरा संख्या 559, 560, 561 और 562 की जमीन के सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्से पर निर्मित भूमि, जिसका परिमाप 26451.14 वर्ग फीट है, के हिस्से पर अविभाजित हिस्से एवं हित के साथ कृष वाटिका की दूसरी मंजिल पर फ्लैट सं. जे-201 एवं जे-202, टावर-जे, सुपर बिल्ट अप एरिया लगभग 2840 वर्ग फीट। **टिप्पणी*:** उप-पंजीयक, भिवाड़ी के कार्यालय में दस्तावेज संख्या 2011003390, बही संख्या 01, खंड संख्या 356, पृष्ठ संख्या 190 पर पंजीकृत मैसर्स कृष इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्री अमित यादव के पक्ष में निष्पादित दिनांक 15/09/2011 का उप-पट्टा विलेख (बिक्री विलेख) में इसका अधिक सटीक विवरण दिया गया है।

यदि कथित कर्जदार, जैसा कि पहले बताया गया है, ईसीएल को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो ईसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपर बताई गई प्रत्याभूत संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा; इस कार्रवाई से जुड़े सभी व्यय और परिणामों का पूरा जोखिम उक्त कर्जदारों का ही होगा। कथित कर्जदारों को अधिनियम के तहत, ईसीएल की पूर्व लिखित सहमति ते बिना, ऊपर बताई गई संपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है, चाहे वह बिक्री, पट्टा अथवा किसी अन्य माध्यम से किया जाए। कोई भी व्यक्ति जो कथित अधिनियम के प्रावधानों, अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, अथवा ऐसे उल्लंघन में सहायता करता है, वह अधिनियम के तहत निर्धारित कारावास और/अथवा जुर्माने का भागी होगा।

स्थानः दिल्ली
तारीख: 24-04-2026

हस्ता/- (अधिकृत अधिकारी)
कृते ईसीएल फाइनैंस लिमिटेड

---

ujjivan SMALL FINANCE BANK

• पंजीकृत कार्यालयः– ग्रेप गार्डन, नंबर 27 तृतीय 'ए' क्रॉस, 18जी मेन, 6वां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु–560095 क्षेत्रीय कार्यालयः– जी एम टी टी बिल्डिंग प्लॉट नं. डी–7, सेक्टर–3, नोएडा (यूपी)–201301
शाखा अलवरः तलवार टावर, रोड नंबर 2, काशीराम चौराहे के पास, जय कॉम्प्लेक्स के सामने, जय मार्ग, आर्य नगर, अलवर – 301001 • शाखा बूंदीः प्लॉट नंबर 1, न्यू कॉलोनी, सर्किट हाउस के सामने, न्यू कॉलोनी, बूंदी – 323001
शाखा कोटपूतलीः– भूतल, प्लॉट नंबर 1982, खसरा नंबर 1196, ग्राम बासडी, तहसील कोटपूतली, P55W+MQ8, कोटपूतली–303108
• शाखा सोनखरः– वार्ड नंबर 13, भूतल, सोनखर, अहिंसा सर्कल के पास, सोनखर रोड, खेरली, कठूमर, अलवर, खेरली, अलवर – 321606 • शाखा जयपुरः– प्लॉट नं. ए–58ए, ए59, भूतल, स्कीम नंबर 10–ए, रिद्धि–सिद्धि चौराहे के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर – 302017
संपर्क व्यक्तिः (1) चैन सिंह गोयल, मो. 9950437507, (2) सौरभ गुप्ता, मो. 8112269452 (3) संजय शर्मा, मो. 9983365566

सार्वजनिक नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के परंतुक नियम 8(6) और 9 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के तहत बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी ''जहां है जैसा है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि को आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता नं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम	13-2 नोटिस की तिथि और मांग राशि	सांकेतिक/ भौतिक कब्जे की तिथि	वर्तमान बकाया राशि	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रु. में	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. में (आरक्षित मूल्य का 10%)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	ईएमडी भेजने हेतु खाता विवरण
1.	2212250250000020	(1) झंडासिंह @ झंडा सिंह पुत्र नत्थी सिंह (2) राजवती पत्नी झंडा सिंह @ झंडासिंह	04.07.2024 रु. 4,69,555/–	12.03.2026 (भौतिक कब्जा)	रु. 7,21,432.22 (दिनांक 06.04.2026 तक)	20.05.2026 अपरां. 02.00 बजे पूर्व नियुक्ति द्वारा	रु. 6,49,000/-	रु. 64,900/-	30.05.2026 को पूर्वां. 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक	29.05.2026 को अपरां. 04.00 बजे तक	**ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में अलवर शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस/ एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से खाता सं. 22011013462001 आईएफएससीः UJVN0002201 पर जमा किया जाना चाहिए।**
	आवासीय संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि पट्टा संख्या 17 पर निर्मित, मिसल संख्या 23, ग्राम सुंदरावली, ग्राम पंचायत सुंदरावली, पंचायत समिति नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर, राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 140 वर्ग गज जिसकी सीमाएं: उत्तरः लाल हंस का मकान, दक्षिणः मोहन सिंह का मकान, पूर्वः रामवीर का मकान, पश्चिमः धोरा का मकान										
2.	2225210170000058	(1) उदा लाल @उदय लाल मेघवाल @उदय लाल पुत्र कवर लाल (2) देवराज मेघवाल@देव राज मेघवाल पुत्र उदा लाल @उदय लाल	30.05.2025 रु. 2,69,862/–	14.03.2026 (भौतिक कब्जा)	रु. 3,32,417.69 (दिनांक 06.04.2026 तक)	20.05.2026 अपरां. 02.00 बजे पूर्व नियुक्ति द्वारा	रु. 4,85,000/-	रु. 48,500/-	30.05.2026 को पूर्वां. 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक	29.05.2026 को अपरां. 04.00 बजे तक	**ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में बूंदी शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस/ एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से खाता सं. 22011013462001 आईएफएससीः UJVN0002201 पर जमा किया जाना चाहिए।**
	भूमि एवं भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि आवासीय संपत्ति पट्टा संख्या 44, बुक संख्या 12, क्षेत्रफल 1250 वर्ग फुट, अर्थात् 138.88 वर्ग गज, खसरा संख्या 340 का भाग, ग्राम पंचायत धनत्तारी, ग्राम अंधेड़, तहसील एवं जिला बूंदी, राजस्थान, जिसकी सीमाएं: उत्तरः आम रास्ता, दक्षिणः मूलकराज का मकान, पूर्वः बिरधीलाल का मकान, पश्चिमः प्रकाश का मकान										
3.	2306210170000015	(1) श्री राजू बुनकर @ राजू चौहान पुत्र लीला राम @ लीला राम बुनकर (2) श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री राजू बुनकर @ राजू चौहान	23.05.2025 रु. 6,50,373/–	25.02.2026 (भौतिक कब्जा)	रु. 8,18,161.56 (दिनांक 06.04.2026 तक)	20.05.2026 अपरां. 02.00 बजे पूर्व नियुक्ति द्वारा	रु. 8,01,000/-	रु. 80,100/-	30.05.2026 को अपरां. 01.00 बजे से अपरां. 02.00 बजे तक	29.05.2026 को अपरां. 04.00 बजे तक	**ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में कोटपूतली शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस/ एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से खाता सं. 22011013462001 आईएफएससीः UJVN0002201 पर जमा किया जाना चाहिए।**
	भूमि एवं भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि आवासीय संपत्ति, पट्टा संख्या 10, बुक संख्या 31, क्षेत्रफल 84.92 वर्ग गज, ग्राम पंचायत बड़नगर, तहसील पावटा एवं जिला जयपुर, राजस्थान जिसकी सीमाएं: उत्तरः रास्ता एवं जगदीश बलाई का मकान, दक्षिणः रमेश गुप्ता की काश्त भूमि, पूर्वः दिलीप/लीलाराम का मकान, पश्चिमः सरती/संतराम बलाई का मकान										
4.	2337250250000024	(1) हंसराज गुर्जर पुत्र सम्मी @ समय सिंह (2) लेखराम सिंह पुत्र सम्मी @ समय सिंह (3) समय सिंह @ सम्मी पुत्र बुगल	03.06.2024 रु. 5,57,644/–	16.12.2025 (भौतिक कब्जा)	रु. 14,29,149.65 (दिनांक 06.04.2026 तक)	12.05.2026 अपरां. 02.00 बजे पूर्व नियुक्ति द्वारा	रु. 6,93,000/-	रु. 69,300/-	19.05.2026 को अपरां. 01.00 बजे से अपरां. 02.00 बजे तक	18.05.2026 को अपरां. 04.00 बजे तक	**ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में सोनखर शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस/ एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से खाता सं. 22011013462001 आईएफएससीः UJVN0002201 पर जमा किया जाना चाहिए।**
	आवासीय प्लॉट का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि पट्टा संख्या 65 पर निर्मित बुक संख्या 345, खसरा संख्या 391, ग्राम सिरथली, ग्राम पंचायत सिरथली, पंचायत समिति नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर, राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 289 वर्ग गज जिसकी सीमाएँ: पूर्वः सुलाद का मकान, पश्चिमः सड़क और भोतल का मकान, उत्तरः सड़क, दक्षिणः सुलाद का मकान										
5.	2226220620000011	(1) श्री दुर्गा फर्नीचर वर्क्स, प्रोपराइटर राजेंद्र प्रसाद जांगिड़ @ राजेंद्र प्रसाद पुत्र राम गोपाल जांगिड़ @ रामगोपाल जांगिड़ @	23.06.2025 रु. 22,41,641/–	10.03.2026 (भौतिक कब्जा)	रु. 25,09,347.62 (दिनांक 06.04.2026 तक)	20.05.2026 अपरां. 02.00 बजे पूर्व नियुक्ति द्वारा	रु. 10,91,000/-	रु. 1,09,100/-	30.05.2026 को अपरां. 01.00 बजे से अपरां. 02.00 बजे तक	29.05.2026 को अपरां. 04.00 बजे तक	**ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में जयपुर शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस/ एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से खाता सं. 22011013462001 आईएफएससीः UJVN0002201 पर जमा किया जाना चाहिए।**
	रामगोपाल जांगिड़ (2) राजेंद्र प्रसाद जांगिड़ @ राजेंद्र प्रसाद पुत्र राम गोपाल जांगिड़ @ रामगोपाल जांगिड़ @ रामगोपाल जांगिड़ (3) नरेन्द्र कुमार जांगिड़ पुत्र राम गोपाल जांगिड़ @ रामगोपाल जांगिड़ @ रामगोपाल जांगिड़ (4) विष्णु कुमार जांगिड़ @ विष्णु कुमार जांगिड़ पुत्र राम गोपाल जांगिड़ @ रामगोपाल जांगिड़ @ रामगोपाल जांगिड़										
	भूमि एवं भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 48.00 वर्ग गज, पट्टा संख्या 32, बुक संख्या 27, मिसल संख्या 14 ग्राम पंचायत छारेड़ा, पंचायत समिति लवान जिला दौसा, राजस्थान जिसकी सीमाएँ: पूर्वः गली और प्रभु मीणा का बाड़ा, पश्चिमः सड़क, उत्तरः गली और श्री प्रभु का मकान, दक्षिणः श्री बाबूलाल महावर और श्री रामस्वरूप खटीक का चरपेटा										

नियम एवं शर्तें–

ई–नीलामी ''जहां है जैसा है'' और ''जो कुछ भी है'' आधार पर आयोजित की जायेगी।

1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, ऋणभार, नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देवताओं के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन से बैंक की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं बनता है और न ही यह माना जाएगा। संपत्ति की बैंक की जात या अज्ञात सभी मौजूदा और भावी ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है। अधिकृत अधिकारी/सिक्योर्ड क्रेडिटर किसी भी तीसरे पक्ष के दावों अधिकारों देयताओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
2. बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विशिष्टताओं के बारे में निरीक्षण और स्वयं को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी चोलीदाताओं की होगी। नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लेखित साइटों पर करने की अनुमति दी जाएगी।
3. इच्छुक बोलीदाताओं की अपनी चोली ऊपर उल्लिखित नीलामी की तारीख से पहले अधोहस्ताक्षरित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
4. ई–नीलामी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अनुमोदित ई–नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। संपर्क व्यक्ति प्रभाकरन (मो. संख्या 7418281709) (इच्छुक बोलीदाताओं की संपत्ति के विवरण के लिए **https://www.bankeauctions.com or https://www.ujjivansfb.in/e-auctions** पर जाने की सलाह दी जाती है। और बोली में भाग लेने के लिए उन्हें पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम दर्ज कराना होगा और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा। भावी बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर– 7291918824, 25, 26, सपोर्ट ईमेल आईडीः support@bankeauctions.com, नीलामी पोटल– https://www.bankeauctions.com से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5. संपत्ति उच्चतम चोलीदाता/प्रस्तावित को बेची जाएगी, जो प्रतिभूत लेनदार, पानी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बोली की स्वीकृति के अधीन होगी। हालांकि, अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्ण विवेक है कि यदि आवश्यक समझा जाए तो इंटर से बोली लगाने की अनुमति दी जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव निविदा की स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है।
6. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) को आशिक विक्री प्रतिफल के रूप में रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के भीतर, पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए विक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा और बिक्री के 15 वें दिन या उससे पहले विक्री मूल्य का शेष 75% या किसी भी मामले में लिखित रूप में और केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर अधिकतम 3 महीने की विस्तारित अवधि के भीतर सहमति के अनुसार जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक के मामले में, प्रस्ताव द्वारा पहले से जमा की गई राशि की जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति को फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा और डिफॉल्ट खरीदार का संपत्ति राशि के संबंध में कोई दावा अधिकार नहीं होगा।
7. यह प्रकाशन प्रभावी मुख्य खंड के अधीन है।
8. बोलीदाताओं के अपने हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेवार होंगे, ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों की घटनाओं से चचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे कि बिजली आपूर्ति बैंक–अप आदि की व्यवस्था करें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें।
9. यह बंधक संपत्तियों की बिक्री के लिए निर्धारित सार्वजनिक नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है।

तिथि: 23.04.2026 स्थानः राजस्थान

प्राधिकृत अधिकारी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक

असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

Arcil Formerly ARC

पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028 फोन : +91 22665 81300 www.arcil.co.in
सीआईएन : U65999MH2002PLC134884 वेबसाइट : www.arcil.co.in

मांग सूचना

जबकि, **असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (इसमें आगे 'आर्सिल' कही गई है),** जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित एक प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन कम्पनी है तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "सरफासी ऐक्ट" कहा गया है) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है, तथा जबकि नीचे चार्ट में वर्णित कर्जदारों/सह–कर्जदारों ने विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (वीएफएसपीएल) से ऋण प्राप्त किए हैं और जबकि आर्सिल ने नीचे चार्ट में वर्णित ऋण खातों के संबंध में वित्तीय आस्तियां अधिग्रहीत कर ली हैं ; तथा जबकि आर्सिल ने, प्रतिभूत लेनदार के रूप में, सरफासी अधिनियम के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित कर्जदारों/सह–कर्जदारों को मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें उनसे सूचनाओं में वर्णित राशि उस पर आगे ब्याज के साथ सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी, परंतु विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को सूचनाएं सुपुर्द नहीं की जा सकीं।

खाता संख्या	कर्जदार (रों)/गारंटर(रों) का नाम	तक कुल बकाया ऋण राशि (आईएनआर में)	मांग सूचना तिथि
0125SB ML03417	1. श्री/श्रीमती लीलाराम योगी 2. श्री/श्रीमती सुमन लीला	रु. 6,84,506.07 30–01–2026 तक	24–02–2026
प्रतिभूत आस्ति का वर्णन : श्री मनोहरलाल पुत्र प्रभात बी/सी गुर्जर के खातेदार काश्तकार के रूप में संपत्ति, खसरा नंबर 882 / 0.43 ग्राम जैनपुरवास, 1/3 हिस्सा। मूल बिक्री विलेख दिनांकित 04–04–2019 को श्री मनोहरलाल पुत्र प्रभात बी/सी गुर्जर निवासी मोरधा तहसील कोटपूतली जयपुर राजस्थान द्वारा जारी किया गया। कुल क्षेत्रफल 1/5 जिसमें 1/3 = 286 वर्ग मीटर जिसमें खसरा नंबर 882 / 0.43 ग्राम जैनपुरवास तहसील बहरोड़ अलवर राजस्थान। संपत्ति श्रीमती सुमन देवी पत्नी लीला राम पुत्र जोगी निवासी जैनपुरवास तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज के पक्ष में उप रजिस्ट्रार बहरोड़ जिला अलवर में दिनांक 04–04–2019 को बही नं. 1 जिल्द नं. 568 पेज नं. 151 क्रम संख्या 201903357100877 पर पंजीकृत है। मूल डीड श्रीमती सुमन देवी पत्नी लीला राम बी/सी जोगी निवासी जैनपुरवास तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज द्वारा विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित की गई। मूल रूपांतरण आदेश संबंधित अधिकारी द्वारा श्रीमती सुमन देवी पत्नी लीला राम बी/सी जोगी निवासी जैनपुरवास तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज के पक्ष में निष्पादित किया गया। जिसमें खसरा नं. 882 / 0.43 जैनपुरवास तहसील बहरोड़ जिला